

मूल निवास हेतु आवेदन पत्र (शहरी क्षेत्र के लिए)

कोर्ट फीस स्टाम्प
2/- रुपया

1. प्रार्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम.....
3. वर्तमान स्थायी पता.....
4. पिता/पति का मूल निवास स्थान.....
5. पिता/पति के व्यवसाय.....
(अगर पिता/पति राज. सरकार या राजकीय उपक्रम में कर्मचारी हैं तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
6. पिता/पति के व्यवसाय का पता.....
7. जन्म स्थान.....
8. जन्म दिनांक
9. आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

	शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान
कक्षा 1 से 9
10 वीं
12वीं
स्नातक
स्नातकोत्तर

10. स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान
.....
.....

अगर किराये के मकान में रहे तो किरायेनामे अथवा किराये संबंधी विश्वसनीय दस्तावेज संलग्न करें।

11. क्या राशन कार्ड बना हुआ है। हां/ना
12. राशन कार्ड जारी किये जाने का दिनांक
13. क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है। हां/ना
14. आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है.....

II महिलाओं के लिये :-

1. क्या आप विवाहित हैं?
2. आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ?.....
3. क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं.....
4. आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं?
.....

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है।

दिनांक

स्थान

प्रार्थी के हस्ताक्षर

III नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

1. शपथ-पत्र दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर।
2. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
3. मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति।
4. शिक्षा के प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रति।
5. जन्म प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
6. अचल सम्पत्ति/किराये नामों के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।
7. दो उत्तदायी व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र

कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन जांचकर्ता की रिपोर्ट 5-

1. प्रार्थी द्वारा भरा गया विवरण (महिलाओं के लिए I & II)सही एवं पूर्ण है। हां/ नहीं
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्नक पूर्ण एवं सही है हां/ नहीं

यदि नहीं तो विशेष विवरण

.....

प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को मूल निवास दिया जाना उचित है/आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है।

आवेदन पत्र पर आपत्तियां.....

..

.....

.

हस्ताक्षर लिपिक

मूल निवास जारी करने हेतु आदेश

1. प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर मूल निवास जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।
2. आवेदन पत्र हस्ताक्षर अपूर्ण होने के कारण/अन्य कारण..... खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर अधिकारी